तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज घेवरचन्द भाटी पटवारी हाल, निलम्बित पटवारी मुख्यालय तहसील कार्यालय सोजत बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 45/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/99 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

4/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 16.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./465/2021/277 दिनांक 21.02. 2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित होने से जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./465/2021/1939 दिनांक 17.12.2021 के सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, पाली ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/346 दिनांक 19.01.2022 के सूचित किया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना नियम 8(1)(ज) के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस पर इस कार्यालय के जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./465/2021/98 दिनांक 20.01.2022 के उक्त पत्र की एक प्रति अपीलांट को प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान प्राप्त सूचना के संबंध मे आपति जाहिर की। अतः वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली